Form–III

फर्द अहकाम(नियम 26)

अज अदालत – **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – डॉ. सोनिया पूर्वा, आरजेएस

सरकार बनाम राजेश

नियमित फौजदारी संख्याः– **10/2016**, सीआईएस नंबरः– **1429/2016,**

एफआईआर संख्याः– **359/2013**, पुलिस थानाः– **पाटन**

अपराध धारा **420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, 1860**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.26	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त राजेश अनुपस्थित, जिसकी जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी की दरख्वास्त पेश हुई, जो आज के लिए स्वीकार की जाती है। आज इस आदेश द्वारा अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 व धारा 265(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांकित 08.05.2026 का निस्तारण किया जा रहा है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रकरण हाजा का महत्वपूर्ण दस्तावेज एक चैक Indusland Bank का, जिसका चैक नंबर 805062 राशि 6,50,000/–रुपये का अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर परिवादी रामावतार जाट को दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को एचडीएफसी बैंक शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण लगाया गया। उक्त चैक को एचडीएफसी बैंक शाखा शाहपुरा द्वारा अपर्याप्त निधि व हस्ताक्षर डिफर के आधार पर रद्द कर परिवादी को पुनः रिटर्न मीमो रसीद सहित लौटा दिया गया। परिवादी रामावतार द्वारा उपरोक्त असल चैक को मय असल रिटर्न मीमो रसीद सहित दौराने अनुसंधान प्रकरण सं. 359/2013 पुलिस थाना पाटन के अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर दिया, किंतु असल चैक नंबर 805062 मय असल रिटर्न मीमो रसीद एचडीएफसी बैंक की न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जबकि न्यायालय पत्रावली में उक्त चैक नंबर 805062 और एचडीएफसी बैंक की रिटर्न मीमो की रसीद की फोटो प्रति उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तोवजात प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु अत्यावश्यक दस्तावेजात हैं। उपरोक्त दस्तावेजात अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध साबित किया जाना इप्सित है, जो न्यायालय की आदेशिका की पहूंच से बाहर है, जिनकी फोटो प्रतियां न्यायालय पत्रावली में संलग्न हैं। उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां इन मूल दस्तावेजातों से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है। जिन्हें न्यायहित में द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में माना जाकर प्रदर्शित कराया जाना अत्यावश्यक है। प्रकरण हाजा से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेजात, जिनमें श्री श्याम बाबा स्टोन क्रेशर पर कार्यरत जयवीर मुंशी व बाबूलाल मुंशी को परिवादी रामावतार द्वारा स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य के अधीन उक्त क्रेशर मशीन चलाने के दौरान जो भुगतान किया गया था। उसकी मूल रसीदें व साथ ही मीणा नांगल में स्थित पत्थर की खान से ट्रेक्टर चालक कैलाश मेट व ट्रेक्टर चालक रामस्वरूप व ट्रेक्टर चालक वीरसिंह द्वारा अपने	Noted नरेन्द्र A.A. 03.07.26 Noted Hemant 3/7/26 इलामी योजी A.P. 3-7-26

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.1
नीमकाथाना सीकर (राज.)

ट्रेक्टर–ट्रॉलियों में पत्थर भरकर प्रार्थी रामावतार की क्रेशर पर खाली किये जाने, ढुलाई किये जाने की मजदूरी उपरोक्त ट्रेक्टर चालकों को परिवादी रामावतार जाट द्वारा श्री श्याम बाबा स्टोन क्रेशर का स्वामित्व व आधिपत्य के संचलान के दौराने, जो मजदूरीयां दी गई थी, जिनकी असल रसीदें दौराने अनुसंधान परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को देने चाही गई, किंतु अनुसंधान अधिकारी ने उपरोक्त मजदूरी राशि के भुगतान की असल रसीदों को अनुसंधान पत्रावली में शामिल नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त भुगतान की असल रसीदें प्रकरण हाजा के उचित व न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अत्यावश्यक दस्तावेजात हैं, जिनको न्यायालय रिकॉर्ड परी लिया जाकर उपरोक्त संबंधित गवाहान से प्रदर्शित करवाया जाना अत्यावश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति चैक नंबर 805062 मय फोटो प्रति रिटर्न मीमो रसीद को द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में ली जाकर प्रदर्शित करवाने एवं साथ ही परिवादी रामावतार द्वारा ट्रेक्टर चालकों और दोनों मुंशियों को किये गये भुगतान की असल रसीदों को भी न्यायालय पत्रावली में रिकॉर्ड पर लेकर प्रदर्शित करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब अभियुक्त की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि परिवादी की ओर से उक्त प्रकरण मिथ्या रूप से दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त के कार्यालय में कुछ दस्तावेजात व हस्ताक्षरयुक्त खाली चैक रखे हुए थे, जिन्हें प्रकरण के परिवादी द्वारा चोरी कर लिए तथा मिथ्या कहानी बनाकर अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रकरण के परिवादी को कोई चैक नहीं दिया गया। प्रकरण के परिवादी द्वारा कोई चैक अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया गया। यदि ऐसा होता, तो अनुसंधान अधिकारी द्वारा शामिल पत्रावली किया गया होता। ऐसी स्थिति में उक्त चैक की फोटो प्रति को शामिल पत्रावली कर मूल दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित किया जाना विधि विरुद्ध है। इससे प्रकरण के मूल स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अभियुक्त के साथ अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में उक्त चैक संख्या 805062 की फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य में शामिल पत्रावली कर प्रदर्श डाला जाना विधि संगत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रदर्शित करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए परिवादी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी पेश प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं.1
नीमकाथाना सीकर (राज.)

सुना गया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अभियोजन अधिकारी की ओर से परिवादी रामौतार जाट द्वारा श्री श्याम बाबा स्टोन क्रेशर के स्वामित्व तथा अधिपत्य से संचलान के दौरान की असल रसीदों को रिकॉर्ड पर लेकर प्रदर्शित करवाये जाने एवं पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति चैक नंबर 805062 व रिटर्न मीमो को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाने की अनुमति हेतु निवेदन किया है। असल रसीदों के संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में भी उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात प्राथमिक दस्तावेजात हैं। अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक चैक नंबर 805062 व उससे संबंधित रिटर्न मीमो को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन है, के संबंध में गौर करें, तो अभियोजन अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र में परिवादी रामावतार द्वारा असल चैक व रिटर्न मीमो रसीद एचडीएफसी बैंक अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की जाने, किंतु उक्त दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त दस्तावेज की फोटो प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये जाने की अनुमति चाही गई है, इस संबंध में सुसंगत विधिक प्रावधान का अवलोकन करें, तो धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दिये जाने की परिस्थितियां वर्णित हैं। अभियोजन अधिकारी की ओर से हस्तगत प्रार्थना–पत्र में धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित आधारों में से कोई भी आधार वर्णित नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई कारण प्रकट किया है कि उक्त दस्तावेज यदि अनुसंधान अधिकारी के पास है, तो वह न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अभियोजन अधिकारी की ओर से हस्तगत प्रार्थना–पत्र के संबंध में परिवादी रामावतार का भी इस आशय का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है कि परिवादी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को असल चैक व रिटर्न मीमो दिये गये हो।

अतः बाद गौर समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चैक नंबर 805062 व उससे संबंधित रिटर्न मीमो को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाये जाने की अनुमति की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है तथा असल रसीदों को रिकॉर्ड पर लिये जाने व प्रदर्शित करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 15/7/26 को पेश हो।

(डॉ. सोनिया पूर्वा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1
नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)